


11/12/25

पत्रावली पेश हुई वार एसोशियेशन ने  
कन्डोलेंस कर कार्य त्यागन का निवेदन  
किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक  
को पेश हो

पत्रावली पेश हुई वार एसोशियेशन ने  
कन्डोलेंस कर कार्य त्यागन का निवेदन  
किया। पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक  
को पेश हो

05/12/25: पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 08.10.2025 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये हैं। परन्तु वकील प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक तामील हेतु सम्मन तक पेश नहीं किये। तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये है।

प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है। अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बावजूद पर्याप्त अवसर अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु दिये जाने पर भी तलबी नहीं कराने एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।

  
(दिव्या सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)